कार्यालय वनमंडलाधिकारी,पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल

E-mail ID :: dfotwchwara@mp.gov.in Fax (07162)246996

क्रमांक/मा.चि./2017/ 1713 छिन्दवाड़ा दिनांक 7/10/17

प्रति,

महाप्रबंधक

वे.को.फी.लिमि.

कन्हान क्षेत्र डुंगरिया

विषय :– छिंदवाड़ा जिले के जामई वनपरिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक आर. एफ. 454 में से रकबा 14.00 हे. वनभूमि आरक्षित वनखंड 4 जामई भारत खुली खदान, फेस–2 घोरावाड़ी नं.–2 हेतु वेर्स्टन कोलफील्ड्स लिमिटेड कन्हान क्षेत्र डुंगरिया को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत उपयोग में देने बाबद्।

संदर्भ :– 1. म.प्र.शासन वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन,भोपाल के पृ.क्रमांक एफ–5–14/2005/10–3 दिनांक 30.07.2012

2. आपका पत्र क्रमांक/वेकोलि/महाप्र./कन्हान/सर्वे/14 हे./2017/930 दिनांक 23.08.2017

–\\\\\–

विषयांकित संदर्भित पत्र के तारतम्य में लेख है कि ,पश्चिम छिंदवाड़ा सा. वनमंडल के अंतर्गत वन परिक्षेत्र जामई के अंतर्गत आरक्षित वन खंड 4 जामई के वन कक्ष क्रमांक आर. एफ. 454 रकबा 14.00 हे. वन भूमि भारत कालरी उपरीतल कोयला खदान हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत स्वीकुति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया हैं।

संदर्भित पत्र क्रमांक 1 से प्रभावित वन भूमि के व्यपवर्तन के प्रकरण में पंजीयन शुल्क रु. 5000.00 एवं प्रोसेसिंग शुल्क रु. 30000.00 कुल राशि रु. 35000.00 वनमंडलाधिकारी पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल के नाम से डी.डी. या चैक के माध्यम से जमा करें।

संदर्भित पत्र क्रमांक 2 से प्रस्ताव पार्ट 'ए' की 8 प्रतियां इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई है। आपके द्वारा ऑन लाईन पार्ट I की हार्ड कापी प्रस्ताव में संलग्न नहीं किया गया है, हार्ड कापी हस्ताक्षर सहित संलग्न करें।

प्रस्तावित आवेदित क्षेत्र पी.एफ. 454 का उल्लेख किया गया है। जबकि उक्त क्षेत्र आरक्षित वन कक्ष क्रमांक आर एफ 454 है। ऑनलाईन पोर्टल में पार्ट I में संशोधित करें।

प्रस्ताव में आवेदित क्षेत्र वन भूमि का मानचित्र 1:50000 एवं 1:15000 का संलग्न नहीं किया गया है केवल टोपोशीट , एरिया प्लान संलग्न किया गया है। ऑनलाईन पोर्टल में पार्ट I में संलग्न करें।

प्रकरण में आवेदित क्षेत्र का आपके द्वारा अस्थाई सीमांकन कर लिया गया है तो प्रस्तावित क्षेत्र का मेरे द्वारा दिनांक 13/10/2017 को स्थल निरीक्षण किया जाना है।

अतः आप आवेदित क्षेत्र में स्थल निरीक्षण दौरान उपस्थित रहें, ताकि आवेदित क्षेत्र का स्थल निरीक्षण किया जा सकें।

ऊपरीतल कोयला खदान हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में आने वाले वृक्षों का गणना पत्रक , अपसेट प्राईज एवं फार्म 30 वनपरिक्षेत्राधिकारी जामई से संपर्क कर गणना पत्रक तैयार करायें एवं रकबा 14.00 के एवज में दोगुने वनक्षेत्र 28.00 हे0 आर.डी.एफ. वन क्षेत्र की वैकल्पिक वृक्षारोपण रिपोर्ट तैयार कराकर प्रस्तुत करें।

वनमंडलाधिकारी
पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल छिन्दवाड़ा

7.10.17 07/10/17

Dfo_West//Shoaib//cover 2017

1214

पृ.क्रमांक/मा.चि./2017/ छिंदवाड़ा, दिनांक/ 7/10/17

प्रतिलिपि :– (1) उपवनमंड़लाधिकारी परासिया सा. उपवनमंड़ल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

(2) वनपरिक्षेत्राधिकारी जामई की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। प्रस्तावित क्षेत्र का दिनांक 13/10/2017 को मेरे द्वारा स्थल निरीक्षण किया जावेगा इस हेतु आवेदक संस्थान के साथ मौके पर जाकर प्रभावित वन भूमि की मोबाइल मेपर में जी.पी.एस. रीड़िग का सर्वे कर रिपोर्ट तैयार रखें। साथ ही आवेदित क्षेत्र का वनों की साइड क्वालिटी एवं घनत्व तथा बीट में पाये जाने वाले वन्य प्राणियों का गणना भी रिपोर्ट में अंकित करें एवं मेरे स्थल निरीक्षण दौरान सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

वे.को.फी.लिमि. कन्हान क्षेत्र डुंगरिया द्वारा वन कक्ष क्रमांक आर.एफ. 454 रकबा 14.00 हे. वन भूमि ऊपरीतल कोयला खदान हेतु प्रस्तावित है। प्रस्तावित क्षेत्र में आने वाले वृक्षों का गणना पत्रक , अपसेट प्राईज एवं फार्म 30 वे.को.फी.लिमि. कन्हान क्षेत्र डुंगरिया के कर्मचारी/अधिकारियों के साथ मिलकर तैयार करायें एवं रकबा 14.00 के एवज में दोगुने वनक्षेत्र 28.00 हे0 आर.डी.एफ. वन क्षेत्र की वैकल्पिक वृक्षारोपण रिपोर्ट तैयार कराकर प्रस्तुत करें। प्रस्तावित वै.वृ.रो. क्षेत्र का जियो रिफ्रेन्स मैप भी प्रोजेक्ट में संलग्न करें।

वनमंडलाधिकारी
पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल छिन्दवाड़ा

Dfo_West//Shoaib//cover 2017